



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H.57495/सी-6/सामान्य-344/ओएन नं० 989/2018/2021

Dated 14-1-21

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Regarding submission of Compliance report of Hon'ble NGT, New Delhi order dated 15.07.2020 in O.A. no. 989/2018 Shiwansh Pandey Vs. State of UP.

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. In compliance of order dated 15.07.2020 the compliance report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,


14/1/2021
(A.K. Tiwari)

Chief Environment Officer
(Circle-6)

Copy to:

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida
District-GB Nagar, 201301 for information and further necessary action.

Chief Environment Officer
(Circle-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Compliance Report with reference to order passed by Hon'ble NGt in OA No. 989/2018 Shivansh Pandey Vs. State of UP.

Hon'ble NGT in OA No. 989/2018 Shivansh Pandey Vs. State of UP has passed order dated 15.07.2020. The relevant portion of the order is as below:-

Relevant Portion of Order	Compliance
<p>4. "Let the Ministry of Railways take further action in the light of the report of the State PCB. Compensation assessed may be deposited within two months failing which the Tribunal may have to take coercive measures, including stoppage of salary or imprisonment of the concerned erring officer under Section 25 of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Section 51 C.P.C..</p> <p>5. The State PCB may prepare a restoration plan and take steps for its execution to remedy the situation.</p>	<p>Northern Railways, Lucknow had deposited the Environmental Compensation (EC) of Rs. 91.2 lacs vide letter dated 15.09.2020.</p> <p>(Copy of the said letter dt. 15.09.2020 is enclosed as Annexure-1)</p>
<p>5. The State PCB may prepare a restoration plan and take steps for its execution to remedy the situation.</p>	<p>A video conference on this issue was held on dt. 25.08.2020 between the officials of UPPCB and Senior Divisional Commercial Manager (Freight Services) and other concerned officers of Northern Railway Lucknow and has suggested to install covered shed with sprinkler system, hood, ID Fan & Bag Filter of adequate capacity with a stack height of minimum 30 meter from ground level.</p> <p>The dense forestation at the available land in Railway Siding, RCC proofing of service road, arrangement for tyre washing of vehicles and making of wind break wall should also be done for the further control of air pollution in the railway siding.</p> <p>The UPPCB vide its letter dt. 01.09.2020, 21.10.2020, 09.11.2020, 23.11.2020 and 12.01.2021 have requested to Senior Divisional Commercial Manager (Front Services), Uttar Railway Lucknow to submit the restoration plan and time bound action plan.</p> <p>(Copy of the said letters dt. 01.09.2020, 21.10.2020, 09.11.2020, 23.11.2020 and 12.01.2021 are enclosed as Annexure-2,3,4,5&6)</p>


(C.B. Verma)
 Tech. Consultant


 A.K. Tiwari
 Chief Environmental Officer
 U.P. Pollution Control Board

Northern Railway
No. C/64-Goods-Misc-NGT/Pollution/FD/19/MA-SSK

Annexure-1
16/09/2020
रैलवे कम्प्लायन्स विभाग

Divl. Office
Lucknow
Date:-15.09.2020

To,

The Member secretary
UPPCB,
TC/12 V, Vibhuti Khand
Gomtinagar, Lucknow

Sub:- As regards depositing of Environmental Compensation at FD in compliance of the order of Hon. NGT in Shivansh Pandey vs State of UP (989/2018)

Lucknow division is committed to improve the environmental conditions in its working and practices at goods shed by way of following all the Prudential norms. In pursuit of its commitment and compliance to Hon. NGT order in Shivansh Pandey vs State of UP, Railway is depositing the cheque numbered 141277, dt 14/09/2020 of Rs 91.2 lakhs in favour of UPPCB. Before encashing the cheque UPPCB may keep the following issues in mind:

- Railway has registered an impleadment appeal before Hon'ble NGT for consideration of EC in terms of revisiting its quantum and process of imposition and by way of keeping it in ESCROW A/C for the time being.
- The online hearing at NGT is scheduled to be conducted on date 15/09/2020.
- However, in regard of the quantum and process of EC at FD, an appeal has already been made to your office by a letter even no. dt. 20/08/2020.

In the interest of justice and fair play, your goodself is requested to take a view on encashing of cheque till the time direction of Hon'ble NGT is issued on the appeal of Railway based on hearing on dt. 15/09/2020.

Lucknow division is working upon short term and long term measures to contain pollution at goods shed. The detailed estimate for necessary Infrastructural improvements at FD goods shed to keep ambient air quality in good conditions is under process of sanctioning. Once the sanction is accorded, UPPCB will be apprised of the timeline of its completion.

UPPCB may like to take appropriate decision keeping the aforementioned facts in mind.

Thanking you.

16/9/2020
इसका जवाब देना है प्रोडि 47

Sr. Divisional Commercial Manager/FS
Northern Railway, Lucknow

16/9/2020
Tech. Consultant

16/09/20
SA/CT

16/9/2020

A/C PAYEE ONLY



भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ
STATE BANK OF INDIA, LUCKNOW

1 4 0 9 2 0 2 0
D D M M Y Y Y Y

Pay **UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

को या अदेशानुसार or Order

रुपये Rupees **Ninety One Lakh Twenty Thousand Only**

अदा करें। ₹ ****9120000.00

A/c No. **32135853346**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
वरि. भ. वि. प्रबन्धक, उ. प्र. लखनऊ (6)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
SR. DFM/N.R., LUCKNOW (6)

G S Meena

Jai Singh

NR/4

UNDER ₹ ******9120001.00**

**G S MEENA
ADFM/NR/LKO**

**JAI SINGH
ADFM/NR/LKO**

टिप्पणी :- इस सारीच से जारी किया गया है उस दिन से कथल तीन महीने तक
N.B. :- VALID FOR THREE MONTHS ONLY FROM THE DATE OF ISSUE

RLY CODE 06060

RLY CODE 06059

141277 226002003 00000 22



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-2

Ref. No. 152480 / सी-6/सा0-344/2020

Dated 01-9-20

ई-मेल द्वारा/महत्वपूर्ण

सेवा में,

सीनियर डिविजनल, कमर्शियल मैनेजर (फेट सर्विसेज)
उत्तर रेलवे लखनऊ डिविजन,
लखनऊ।

विषय: माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवान्श पाण्डेय बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन हेतु दिनांक 25.08.2020 को आयोजित विडियो कान्फेरिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के क्रम में आपके पत्रांक C/64-Goods Misc-NGT/Pollution/FD/19/SSKD दिनांक 20.08.2020 एवं आपके अनुरोध पर दिनांक 25.08.2020 को आप एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सम्पन्न विडियो कान्फेरिंग का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विडियो कान्फेरिंग में हुई चर्चा एवं लिये गये निर्णयों के क्रम में निम्न विन्दुओं पर रेलवे द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है:-

- 1 रेलवे गुड्स साइडिंग फ़ैजाबाद से हो रहे वायु प्रदूषण के समुचित एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्य-योजना Time line की सूचना सहित।
- 2 उक्त क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण हुई पर्यावरणीय क्षति के दृष्टिगत प्रश्न गत क्षेत्र का रेस्टोरेशन प्लान ख्याति प्राप्त तकनीकी संस्थान से तैयार कराया जाना।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि रेलवे गुड्स साइडिंग फ़ैजाबाद से वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु उपरोक्तानुसार कार्य-योजना 15 दिन में तथा रेस्टोरेशन प्लान विलम्बतम् एक माह के अन्दर बोर्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में समय से अनुपालन आख्या दाखिल की जा सके।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

(ए0के0 तिवारी)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-

1. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, अयोध्या को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-3

HS4149

Ref. No..... /सी-6/सा0-344/2020

21-10-2020
Dated -----

ई-मेल/अनुस्मारक
माननीय एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,
सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर (फ्रेट सर्विसेज)
उत्तर रेलवे, लखनऊ डिवीजन,
लखनऊ।

विषय: माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवांश पाण्डेय बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच 52480/सी-6/सा0-344/2020 दिनांक 01.09.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छाया प्रति संलग्न) जिसके द्वारा आपके अपेक्षा की गयी थी कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवांश पाण्डेय बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में रेलवे गुड्स साइडिंग फैजाबाद से वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु उपरोक्तानुसार कार्य-योजना 15 दिन में तथा रेस्टोरेशन प्लान विलम्बतम् एक माह के अन्दर बोर्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में समय से अनुपालन आख्या दाखिल की जा सके।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आप द्वारा अभी तक वायु प्रदूषण के रोक-थाम हेतु कार्ययोजना तथा रेस्टोरेशन प्लान बोर्ड को प्रेषित नहीं कराया गया है।


अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि वायु प्रदूषण के रोक-थाम हेतु कार्ययोजना तथा रेस्टोरेशन प्लान शीघ्र ही बोर्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में समय से अनुपालन आख्या दाखिल की जा सके।
संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-

1. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, अयोध्या को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

-5-

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Mail Send
22/10/20



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-4

Ref. No. 1151/2020 / सी-6 / सा0-344 / 2020

Dated 9-11-2020

माननीय एन0जी0टी0 प्रकरण
अनुस्मारक-2

सेवा में,

सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर (फ्रेट सर्विसेज)
उत्तर रेलवे, लखनऊ डिवीजन,
लखनऊ।

विषय: माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवांश पाण्डेय बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच 52480/सी-6/सा0-344/2020 दिनांक 01.09.2020 एवं एच 54149/सी-6/सा0-344/2020 दिनांक 21.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपसे अपेक्षा की गयी थी कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवांश पाण्डेय बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में रेलवे गुड्स साइडिंग, फैजाबाद से वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कार्ययोजना 15 दिन में रेस्टोरेशन प्लान विलम्बतम 01 माह के अन्दर बोर्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण में समय से अनुपालन आख्या दाखिल की जा सके।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा अभी तक वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कार्ययोजना तथा रेस्टोरेशन प्लान बोर्ड को प्रेषित नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कार्ययोजना तथा रेस्टोरेशन प्लान शीघ्र ही बोर्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में समय से अनुपालन आख्या दाखिल की जा सके।

भववीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:

मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

०९/११/२०

-6-

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppccb.com - Web Site: www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure -5

1155252
Ref. No..... /सी-6/सा0-344/2020

23-11-2020
Dated -----

माननीय एन0जी0टी0 प्रकरण
अनुसमारक-3

सेवा में,
सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर (फ़ेट सर्विसेज)
उत्तर रेलवे, लखनऊ डिविजन,
लखनऊ।

विषय: माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवांश पाण्डेय बनाम
स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच 52480/सी-6/सा0-344/2020 दिनांक 01.09.2020, एच 54149/सी-6/सा0-344/2020 दिनांक 21.10.2020 एवं एच 54725/सी-6/सा0-344/2020 दिनांक 09.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपसे अपेक्षा की गयी थी कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवांश पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में रेलवे गुड्स साइडिंग, फ़ैजाबाद से वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कार्ययोजना 15 दिन में रेस्टोरेशन प्लान विलम्बतम 01 माह के अन्दर बोर्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण में समय से अनुपालन आख्या दाखिल किया जा सके।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा अभी तक वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कार्ययोजना तथा रेस्टोरेशन प्लान बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कार्ययोजना तथा रेस्टोरेशन प्लान शीघ्र ही बोर्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण में समय से अनुपालन आख्या दाखिल किया जा सके।

प्रतिलिपि:

मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।

भवदीय,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

-7-

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Annexure-6

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No..... /सी-6/सा0-344/2020

12/1/21
Dated -----

माननीय एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर (फ्रेट सर्विसेज)
उत्तर रेलवे, लखनऊ डिवीजन,
लखनऊ।

विषय: माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवांश पाण्डेय बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच 52480/सी-6/सा0-344/2020 दिनांक 01.09.2020, एच 54149/सी-6/सा0-344/2020 दिनांक 21.10.2020, एच 54725/सी-6/सा0-344/2020 दिनांक 09.11.2020 एवं एच.55252/सी-6/सा0-344/2020 दिनांक 23.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपसे अपेक्षा की गयी थी कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवांश पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में रेलवे गुड्स साइडिंग, फैंजाबाद से वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कार्ययोजना 15 दिन में रेस्टोरेशन प्लान के साथ विलम्बतम 01 माह के अन्दर बोर्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण में समय से अनुपालन आख्या दाखिल किया जा सके।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा अभी तक वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कार्ययोजना तथा रेस्टोरेशन प्लान बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है।

इस संबंध में दिनांक-25.08.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दिनांक-04.01.2021 को रेलवे के संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता के समय अवगत कराया गया था कि अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, (यूनिट-टांडा सीमेन्ट वर्क्स) रेलवे साइडिंग में कवर्ड शेड विद स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित है। उक्त व्यवस्था में हुड, आई0डी0 फैन तथा बैग फिल्टर स्थापित कर व्यवस्था का सुदृढीकरण करके उपयुक्त व्यवस्था रेलवे साइडिंग फैंजाबाद में स्थापित किया जा सकता है। वेन्ट गैसों के निस्तारण हेतु कम से कम 30 मीटर उंची चिमनी स्थापित की जानी है। रेलवे साइडिंग के खाली स्थानों पर सघन वृक्षारोपण, हॉल रोड को पक्का किया जाना तथा साइडिंग पर आने जाने वाले वाहनों के टायरों की वाशिंग भी आवश्यक है एवं समुचित उचाई की विंड ब्रेकिंग वॉल स्थापित किया जाना है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कार्ययोजना तथा रेस्टोरेशन प्लान शीघ्र ही बोर्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण में समय से अनुपालन आख्या दाखिल किया जा सके।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई हेतु प्रकरण दिनांक 18.01.2021 को नियत है।
अतः समयबद्धता अपेक्षित है।

प्रतिलिपि:

1. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
11/1/2021
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

11/1/2021
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

- 8 -

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com